संख्या- 23 /2016 /1562/12-2-2016-60(3)/2016

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद (**जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती को छोड़कर)**,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 जून, 2016

विषय- वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती को छोड़कर शेष समस्त जनपदों में वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 17/2016/1237/12-2-2016-60(3)/2016 दिनांक 13 मई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में नई फसल बीमा योजना के रूप में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को निम्नलिखित प्राविधानानुसार लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**1-** योजना को भारत सरकार के अ०शा०पत्र संख्या: 13015/02/2015-क्रेडिट-।। दिनांक 22 फरवरी 2016 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के अ०शा०पत्र संख्या: 13015/03/2016-क्रेडिट-।।, दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप प्रदेश में संचालित किया जायेगा।

**2-** योजना के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों, जिनका बीमा कृषकों द्वारा कराया जा सकेगा, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। योजना में सम्मिलित सभी खरीफ व रबी फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है।

**खरीफ की फसल-** धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूँगफली, उर्द, मूँग, तिल, अरहर, सोयाबीन, गन्ना।

**रबी की फसल-** गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू।

**3-** योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों से फसल नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित फसलों के उत्पादक कृषकों को बीमा कवर के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों की बुवाई की निम्न अवस्थाओं में जोखिमों को कवरेज प्रदान किया जायेगा:-

**3-(i)** प्रतिकूल मौसमीय परिस्थतियों के कारण अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई की स्थिति (फसल की क्षति का ऑकलन ग्राम पंयायत स्तर पर किया जायेगा)।

**3-(ii)** अधिसूचित खड़ी फसलों की बुवाई से कटाई की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों से फसल नष्ट होने की स्थिति (फसल की क्षति का ऑकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा)।

**3-(iii)** फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी हुयी अधिसूचित फसल को चक्रवात व चक्रवाती वर्षा/बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति (फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किया जायेगा)।

**3-(iv) स्थानिक आपदाओं-** ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल प्लावन से अधिसूचित फसल नष्ट होने की स्थिति (फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किया जायेगा)।

फसलों की दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों से क्षति को योजनान्तर्गत कवर नहीं किया गया है।

**4-** एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में प्रदेश के समस्त जनपद (जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती को छोड़कर) में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की फसलों को बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु नामित किया गया है।

**5-** वर्ष 2016-17 में अधिसूचित फसलों के अद्यतन आच्छादन के आधार पर अधिसूचित फसलों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों (ग्राम पंचायत) की सूची से सम्बन्धित परिशिष्ट-1 में आंशिक संशोधन हेतु निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे।

6- **अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत)** में अधिसूचित फसल को उगाने वाले सभी कृषक (बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषकों सहित) निम्नवत योजना में सम्मिलित हो सकेंगे:-

6**-(i) ऋणी कृषक:-**वित्तीय संस्थाओं - व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) से अधिसूचित फसलों हेतु अल्प कालीन कृषि प्रचालन ऋण लेने वाले समस्त ऋणी कृषकों को सम्बन्धित बैंक शाखा/संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से योजना में कवर किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6-**(ii) गैर ऋणी कृषक:- अन्य** सभी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा अपनी इच्छानुसार अधिसूचित फसल का बीमा कराया जा सकेगा।

6-(iii) ऋणी एवं गैर ऋणी सभी कृषकों द्वारा **खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई** 2016 एवं **रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की अन्तिम तिथि तक** प्रीमियम की कटौती कराते हुए योजना में सम्मिलित हुआ जा सकेगा।

6-(iv) ऋणी कृषकों के अधिसूचित फसल का बीमा सम्बन्धित ऋण प्रदाता शाखा (व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं पैक्स) द्वारा किया जायेगा। गैर ऋणी कृषकों द्वारा अपने निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेण्ट/बीमा कम्पनी को व्यक्गित रूप से अथवा क्रियान्वयन अभिकरण को बीमित फसल के पूर्ण विवरण व प्रीमियम की धनराशि के साथ पत्र द्वारा अथवा सीधे बीमा कम्पनी के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से फसलों का बीमा कराया जा सकेगा।

6-(V) योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक गैर ऋणी कृषक को अधिसूचित फसल का बीमा कराने हेतु भू स्वामित्व (बटाई अथवा किराये पर खेती की स्थिति में अनुबन्ध की प्रति) एवं बोई गयी फसल की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। गैर ऋणी कृषक का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

6-**(vi)** गैर ऋणी कृषक अग्रिम फसल बुवाई योजना (Advance Crop Planning) के आधार पर फसलों की वास्तविक बुवाई से पूर्व योजना में सम्मिलित हो सकेंगे। यदि किसी कारण से कृषक द्वारा नियोजित फसल के स्थान पर कोई अन्य फसल बोई जाती है ऐसी स्थिति में कृषक बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेण्ट/सीधे बीमा कम्पनी से बीमा कराने की निर्धारित तिथि के 30 दिन तक की अवधि में सम्बन्धित बैंक/बीमा मध्यस्थ अथवा एजेण्ट/सीधे क्रियान्वयन अभिकरण को संशोधित फसल हेतु अतिरिक्त प्रीमियम (यदि आवश्यक हो) के साथ सूचित करते हुए फसल का बीमा करा सकेगा। ऐसी स्थिति में कृषक द्वारा बोई गयी फसलों की पुष्टि हेतु गॉव/जनपद स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7- <u>बीमित राशि, प्रीमियम दर व अनुदान</u>- वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि, कुल प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर, प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश का जनपदवार विवरण परिशिष्ट- 2 व 3 में उल्लिखित है।

**8- <u>कृषकों से फसलों के प्रीमियम की धनराशि का एकत्रीकरण व क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण हेतु निर्धारित समय-सारिणी:-</u>**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**8-(i) ऋणी कृषक-** वित्तीय संस्थाओं- व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) द्वारा वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित फसलों हेतु स्वीकृत अल्प कालीन कृषि प्रचालन ऋण /नवीनीकृत ऋण (अधिसूचना के परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 में फसलवार निर्धारित अधिकतम बीमित राशि तक) को प्रस्तर-6 में उल्लिखित अन्तिम तिथि तक कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए योजना में अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा। वित्तीय संस्था द्वारा प्रीमियम की धनरशि हेतु अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करते हुए अधिसूचित फसलों के लिए प्रीमियम की कटौती सुनिश्चित की जायेगी।

व्यक्तिगत ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि कृषक द्वारा बैंक में प्रस्तुत ऋण आवेदन फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना में परिशिष्टि-2 अथवा परिशिष्ट-3 में जनपद में फसल विशेष हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।

किसान क्रेडिट कार्ड से अधिसूचित फसल के लिए वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम की अवधि हेतु स्वीकृत ऋण (अधिसूचना के परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 में फसलवार निर्धारित अधिकतम बीमित राशि तक) को प्रस्तर-6 में उल्लिखित अन्तिम तिथि तक कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा।

व्यवसायिक बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार (ग्राम पंचायतवार) ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की समाप्ति के 15 कार्य दिवसों के अन्दर बीमा कम्पनी को सीधे उपलब्ध करायेगी।

पैक्स, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की समाप्ति के 15 कार्य दिवसों के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध करायेगी। जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को समेकित कर, प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

**8-(ii) गैर ऋणी कृषक-** अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक गैर ऋणी कृषक, योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक **01** अप्रैल 2016 से दिनांक **31** जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक **01 अक्टूबर** 2016 से दिनांक **31** दिसम्बर 2016 की अवधि में **परिशिष्ट-2** व **परिशिष्ट-3** में फसलवार उल्लिखित

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बीमित राशि का बीमा निकटतम बैंक शाखा/ क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेण्ट/ क्रियान्वयन अभिकरण को व्यक्गित रूप से अथवा क्रियान्वयन अभिकरण को पत्र द्वारा अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषक को बीमित फसल के पूर्ण विवरण-मौसम, ग्राम पंचायत, फसल, बीमित कृषकों की संख्या, बीमित राशि, प्रीमियम राशि, बीमित क्षेत्र, कृषक श्रेणी-सीमान्त अथवा लघु, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषक, बैंक खाता संख्या के विवरण के साथ प्रीमियम की धनराशि का भुगतान करना होगा।

व्यक्तिगत गैर ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि कृषक द्वारा प्रस्ताव फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना में परिशिष्टि-2 अथवा परिशिष्ट-3 में जनपद में फसल विशेष हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।

व्यवसायिक बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की समाप्ति के 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को सीधे उपलब्ध करायेगी।

पैक्स, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की समाप्ति के 07 कार्य दिवसों के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध करायेगी। जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को समेकित कर प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के अन्दर बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जायेगा।

बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेण्ट द्वारा गैर ऋणी कृषकों के प्रस्ताव फार्म व बीमा शुल्क को 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

8-(iii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा फसल बीमा योजना हेतु अपनी कम्पनी का टोल फ्री नम्बर बनाते हुए एक कॉल सेन्टर, जिसमें आवश्यक संख्या में कार्मिक उपलब्ध होंगे, स्थापित कराया जायेगा। टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कृषकों के मध्य सुनिश्चित कराया जायेगा। टोल फ्री नम्बर को प्रदेश स्तर पर स्थापित माननीय मुख्यमंत्री, बैंकिंग सर्विस हेल्पलाइन नम्बर-1520 से भी जोड़ा जायेगा।

9- **<u>फसलों की क्षति का ऑकलन एवं क्षतिपूर्ति</u>**- प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले व्यापक आपदाओं (Wide Spread Calamities) से फसल

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नष्ट होने की स्थिति में फसलों की क्षति का ऑकलन ग्राम पंचायत स्तर तथा स्थानिक आपदाओं- ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल प्लावन से अधिसूचित फसल नष्ट होने एवं फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी फसल नष्ट होने की स्थिति में **फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत कृषक के स्तर पर किया जायेगा।** क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना के प्राविधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति देय होने पर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित बैंक के माध्यम से कृषक के बैंक खाते में जमा करा दिया जायेगा। स्थानिक आपदाओं एवं फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि में फसल नष्ट होने की निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों को व्यक्गित दावा प्रस्तुत करना नहीं होगा।

- **व्यापक आपदाओं (Wide Spread Calamities) से फसल नष्ट होने की स्थिति-**

9-(i) **प्रतिकूल मौसमीय परिस्थतियों के कारण अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई की स्थिति-** कम वर्षा या अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण यदि ग्राम पंचायत के अधिकांश (75 प्रतिशत या अधिक) कृषक फसल की प्रारम्भिक अवस्था में अधिसूचित फसल की बुवाई नहीं कर पाते हैं या असफल बुवाई की स्थिति का सामना करते हैं, ऐसी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को दी जायेगी। कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का ऑकलन निम्नानुसार किया जायेगा-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्षतिपूर्ति | ¾ | बीमित राशि | X | बुवाई विफलता प्रतिशत X 25% |

बुवाई न कर सकने/असफल बुवाई की स्थिति में क्षतिपूर्ति का लाभ देय होने के पश्चात कृषक को आगे योजना के अन्तर्गत कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं उसका बीमा कवरेज समाप्त माना जायेगा।

9-(ii) **अधिसूचित फसलों की बुवाई से कटाई की समयावधि में खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों से फसल नष्ट होने की स्थिति-** मौसम के अन्त में बीमा इकाई क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों पर निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग के आधार पर फसलों की वास्तविक उपज का ऑकलन किया जायेगा। ग्राम पंचायत में फसल की वास्तविक उपज निर्धारित गारण्टीड उपज से कम होने पर ग्राम पंचायत में फसल विशेष के उत्पादक सभी बीमित कृषकों को समान रूप से उपज में कमी का सामना करता हुआ माना जायेगा एवं बीमित कृषकों को निम्न आधार पर क्षतिपूर्ति देय होगी:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्षतिपूर्ति | ¾ | उपज में कमी* ---------- गारन्टीज उपज ** | X | कृषक की बीमित राशि |

* उपज में कमी ¾ गारण्टीड उपज - वास्तविक उपज

** गारण्टीड उपज ¾ ग्राम पंचायत में फसल विशेष की गत सात वर्षों की औसत उपज (प्रदेश में दो आपदा वर्षों में फसल की औसत उपज को छोड़कर) X इण्डेम्निटी स्तर (%)

<u>प्रदेश में खरीफ 2009, खरीफ 2014 एवं रबी 2014-15 आपदा प्रभावित के कारण इन मौसमों की फसल की औसत उपज को गारण्टीड उपज के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।</u>

फसल के वास्तविक उपज के आंकलन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिसूचित प्रत्येक फसलों पर चार फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसलों की वास्तविक उपज का ऑकलन किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायत में चार सफल फसल कटाई प्रयोग सम्पादित नहीं हो सकेंगे, उन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत से अगले क्रम में उच्च स्तर पर उपलब्ध इकाई में फसल की औसत उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का ऑकलन किया जायेगा।

**9-(iii)** <u>फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी हुयी अधिसूचित फसल को चक्रवात व चक्रवाती वर्षा/बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति</u>- इस स्थिति में फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किये जाने का प्राविधान है। प्रभावित कृषक को आपदा के 48 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर अथवा अपने बैंक के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर सूचित करना आवश्यक है। बैंक स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए बीमा कम्पनी को अग्रसारित किया जायेगा।

फसल कटाई के उपरान्त के जोखिम से फसलों की क्षति के ऑकलन हेतु बीमा कम्पनी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी योग्यता व अनुभव के सर्वेयर (Loss Assessors)/कृषि विभाग अथवा उद्यान विभाग अथवा बैंक के योग्य सेवा निवृत्त कार्मिक की नियुक्ति आपदा की सूचना प्राप्त होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के 48 घण्टे के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। सर्वेयर (Loss Assessors) द्वारा क्षति का ऑकलन 10 दिन के अन्दर पूर्ण किया जायेगा तथा क्रियान्वयन अभिकरण को सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

सर्वेयर (Loss Assessors) द्वारा क्षति का ऑकलन सम्बन्धित कृषक व स्थानीय कृषि अथवा राजस्व विभाग के अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

यदि ग्राम पंचायत में फसल के कुल बीमित क्षेत्र के 25% से अधिक की क्षति की सूचना प्राप्त होती है तो ग्राम पंचायत में बीमित फसल के उत्पादक सभी बीमित कृषक, जिनके द्वारा क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित समयावधि में सूचित किया गया है, को क्षतिपूर्ति देय होगी। ऐसी स्थिति में सर्वेयर (Loss Assessors) द्वारा सम्बन्धित कृषकों व स्थानीय कृषि अथवा राजस्व विभाग के अधिकारी की संयुक्त सहमति से सीमित क्षेत्र में सर्वेक्षण के आधार पर फसल की क्षति का प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा।

- **<u>स्थानिक आपदाओं (Localized Calamities) से फसल नष्ट होने की स्थिति-</u>**

**9-(iv)** ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल प्लावन की **स्थानिक आपदाओं से अधिसूचित फसल की क्षति की स्थिति में** फसल की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किये जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में अधिकतम क्षतिपूर्ति आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप देय होगी। इन आपदाओं की स्थिति में भी बीमित कृषकों को आपदा के 48 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर अथवा अपने बैंक/बीमा एजेण्ट के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनी को निर्धारित प्रारूप पर सूचित करना आवश्यक है। बैंक/बीमा एजेण्ट के स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए बीमा कम्पनी को अग्रसारित किया जायेगा। क्षति का ऑकलन व क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु <u>प्रस्तर **8-(iii)**</u> में उल्लिखित प्रक्रिया व समयावधि के अनुरूप क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**10- <u>तात्कालिक सहायता</u>-** अधिसूचित फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों यथा-बाढ, **सूखा, अवर्षण** आदि के कारण **से ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसल की सम्भावित उपज फसल की गारण्टीड उपज के 50% से कम होने की स्थिति में बीमित कृषक** को फसल की बीमित धनराशि के 25% तक अधिकतम क्षतिपूर्ति का तात्कालिक भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा जिसे मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर ऑकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों में अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल की सम्भावित उपज फसल की निर्धारित गारन्टीड उपज से 50 प्रतिशत कम होने के जोखिम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत होंगे। संबंधित जनपद के जिलाधिकारी जनपद स्तर पर एक संयुक्त टीम, जिसके अन्तर्गत राजस्व, कृषि एवं क्रियान्वयन अभिकरण के प्रतिनिधि होंगे, का गठन करेंगे। संयुक्त टीम द्वारा जनपद के प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त रूप से भ्रमण करते हुए तथा जनपद के स्थानीय कृषि एवं मौसम के आंकडों, उपग्रह से प्राप्त चित्रों व जनपद स्तर पर अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अधिसूचित फसल के उपज में हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण इस रिपोर्ट के आधार पर बीमित क्षेत्र के अधिसूचित फसल के बीमित कृषकों को, कृषक की फसल की बीमित धनराशि के 25 प्रतिशत तक अधिकतम क्षतिपूर्ति का तात्कालिक भुगतान निम्नानुसार सुनिश्चित करेगी:-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| तात्कालिक क्षतिपूर्ति | ¾ | गारन्टीज उपज-आंकलित उपज<br>----------<br>गारन्टीज उपज | X | फसल की बीमित राशि X 25 % |

11- **<u>बीमित क्षेत्र व फसलों के वास्तविक बोये गये क्षेत्र में विसंगति</u>**- अधिसूचित ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसल के विगत तीन वर्षों के अद्यतन वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल से अधिक बीमित क्षेत्र का बीमा होने पर

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जनपद के कृषि अथवा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सहमति पूर्वक रैण्डम आधार पर वास्तविक बोये गये क्षेत्र व बीमित क्षेत्र की पुष्टि सुनिश्चित की जायेगी एवं तदनुसार बीमित क्षेत्र को समानुपातिक आधार पर स्वीकार करते हुए बीमा कवरेज को अन्तिम रूप देंगे एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

12- व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) के सभी प्रशासकीय अधिकारी अपने शाखा बैंक के अधिकारियों को योजना के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करायेंगे कि सभी शाखा बैंकों द्वारा कृषकों के प्रीमियम की धनराशि तथा त्रुटि रहित घोषणा-पत्रों को क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध हो जाये।

13- सभी बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा क्रियान्वयन अभिकरण को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि बैंक स्तर से अधिसूचित फसलों हेतु प्रीमियम की कटौती फसल बीमा की अधिसूचना में निर्गत निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार की गयी है एवं बैंक द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना में कवरेज प्रदान किया गया है। इस प्रमाण-पत्र के साथ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा प्रीमियम की समेकित धनराशि क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जायेगा।

14- **<u>फसल बीमा सम्बन्धित ऑकडों को फसल बीमा पोर्टल पर लोड किया जाना:-</u>**

भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के बेहतर प्रशासकीय नियंत्रण तथा योजना के सभी कार्यकारी संस्थाओं एवं कृषकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए पारदर्शी तरीके से योजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान करने हेतु फसल बीमा पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर योजना का नाम, बीमित क्षेत्रफल, बीमित कृषक, बीमित धनराशि, कृषक द्वारा देय प्रीमियम, राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रीमियम पर देय अनुदान की धनराशि, क्रियान्वयन अभिकरण, जनपदवार अधिसूचित फसलवार एवं क्षेत्रवार लोड किया जायेगा, ताकि कृषक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था बीमा से सम्बन्धित समस्त आवश्यक सूचनायें इन्टरनेट एवं एस०एम०एस० के माध्यम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से प्राप्त कर सकें। कृषकों द्वारा बीमा योजना से सम्बन्धित सरलता से सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एक एन्ड्रवायड बेस्ड **क्राप इन्श्योरेन्स एप्प** भी लान्च किया गया है।

सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण योजना की राज्य स्तर पर अधिसूचना जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अधिसूचना से सम्बन्धित समस्त सही-सही सूचनाओं/ऑकडों को इन्श्योरेन्स पोर्टल पर लोड कराना सुनिश्चित करेंगी। राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर लोड की गयी सूचनाओं की पुष्टि/सत्यापन किया जायेगा। इन्श्योरेन्स बेव पोर्टल को **www.agri-insurance.gov.in** पर देखा जा सकता है।

सहकारी/व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मौसम व ग्राम पंचायतवार, बीमित कृषकों की संख्या, कृषकवार बीमित राशि, प्रीमियम राशि, बीमित क्षेत्र, कृषक श्रेणी (सीमान्त अथवा लघु, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषक), कृषकों के बैंक खाता संख्या का पूर्ण विवरण साफ्ट कापी में बीमा कम्पनी को फसल बीमा पोर्टल पर लोड कराने हेतु खरीफ में दिनांक 31 जुलाई, 2016 एवं रबी में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के पश्चात प्राथमिकता पर उपलब्ध करायेगी। क्रियान्वयन अभिकरण प्राप्त सूचनाओं को फसल बीमा पोर्टल पर 15 कार्य दिवस के अन्दर लोड कराते हुए साफ्ट कापी के साथ कृत कार्यवाही से निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगी।

**15-** क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बैंकों से प्राप्त सभी घोषणा-पत्र की पावती सम्बन्धित बैंक शाखाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। बैंकों द्वारा किसी भी त्रुटि/अन्तर/विसंगति से क्रियान्वयन अभिकरण को तत्काल अवगत कराया जायेगा। उन स्थितियों में जहॉ बैंक स्तर से निर्धारित अन्तिम तिथि खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई, 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक कृषक के खाते से बीमा प्रीमियम की कटौती कर ली गयी है, किन्तु क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषित घोषणा-पत्र या प्रपत्रों में त्रुटि के कारण क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं से कार्यवाही प्रगति पर है। ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्थाओं से कृषकों से घोषणा-पत्र क्रियान्वयन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभिकरण द्वारा खरीफ मौसम में विलम्बतम दिनांक 25 अगस्त, 2016 एवं रबी मौसम में विलम्बतम दिनांक 25 जनवरी, 2017 तक स्वीकार्य किये जायेंगे।

**16-** क्रियान्वयन अभिकरण का यह पूर्ण अधिकार होगा कि कृषक द्वारा अपूर्ण घोषणा-पत्र, बीमा से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों की आपूर्ति न करने, प्रीमियम की धनराशि न जमा करने अथवा आंशिक जमा करने आदि की स्थिति में कम्पनी द्वारा कृषक को एक माह के अन्दर पूर्ण करने का अवसर प्रदान करने पर भी कृषक द्वारा त्रुटि रहित घोषणा-पत्र तथा प्रीमियम की धनराशि न अदा करने की स्थिति में कम्पनी बीमा स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। बीमा अस्वीकार करने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कृषक से प्राप्त सम्पूर्ण प्रीमियम कृषक को प्राथमिकता पर वापस किया जायेगा।

**17-** <u>कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित फसलों के ग्राम पंचायतवार उपज के ऑकड़ों को क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण की निर्धारित अन्तिम तिथियां</u>- कृषि विभाग द्वारा खरीफ तथा रबी मौसम में अधिसूचित फसलों के अधिसूचित क्षेत्रवार उपज के ऑकड़े फसल कटाई के पूर्ण होने के एक माह तक की समयावधि में ऑकलित करते हुए क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

18- क्रियान्वयन अभिकरण <u>द्वारा क्षतिपूर्ति के ऑकलन व भुगतान की निर्धारित अन्तिम तिथियॉ</u>- फसलों के उपज के ऑकड़े प्राप्त होने के अधिकतम तीन सप्ताह के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बीमित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्यवाही से निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को अवगत कराया जायेगा।

19- <u>योजनान्तर्गत क्रियान्वयन अभिकरण को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में देय राज्यांश के भुगतान की प्रक्रिया</u>**-**

19-(i) क्रियान्वयन अभिकरण की राज्यांश की समस्त मांग के भुगतान हेतु कृषि निदेशक, उ०प्र० अधिकृत होंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत बजटीय स्वीकृति में से वर्तमान वर्ष में राज्यांश की देयता के साथ-साथ विगत

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष में फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्यांश की अवशेष देयताओं का भुगतान किया जायेगा।

19-(ii) खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई, 2016 एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक योजना में कृषकों की अद्यतन भागीदारी के आधार पर क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्राथमिकता पर राज्यांश की मांग से सम्बन्धित बीजक निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र० कार्यालय में जनपदवार प्रगति विवरण के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

19-(iii) जनपदवार, बैंकवार व फसलवार बीमा प्रगति विवरण के साथ क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 31 अगस्त, 2016 व रबी मौसम में दिनांक 31 जनवरी, 2017 के पश्चात प्राथमिकता पर राज्यांश की अवशेष मांग तथा जनपदवार, बैंकवार, फसलवार व ग्राम पंचायतवार पूर्ण प्रगति विवरण के साथ खरीफ में दिनांक 31 जुलाई, 2016 एवं रबी में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के पश्चात 60 दिनों में राज्यांश की मांग को अन्तिम रूप देते हुए निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र० कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा वास्तविक मांग के अनुरूप राज्यांश की मांग प्रस्तुत की जायेगी।

19-(iV) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा राज्यांश की मांग का पूर्ण परीक्षण किया जायेगा एवं राज्यांश की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि प्रस्तुत की जा रही मांग सम्बन्धित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल मात्र के लिए ही प्रस्तुत की जा रही है तथा कृषकों द्वारा क्षेत्र विशेष में अधिसूचित फसल हेतु मात्र एक बार ही बीमा कवरेज प्रदान किया जायेगा। कृषक द्वारा अपने खेत में बोई गयी फसल का दो बार बीमा कराने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित कृषक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए बीमा क्षतिपूर्ति का भुगतान न करे। ऐसी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कृषक द्वारा जमा कराये गये प्रीमियम अंश को वापस नहीं किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग में किसी भी विगसंति हेतु सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगी। बीमा कम्पनी द्वारा यह भी घोषित किया जायेगा कि राज्यांश के रूप में  जितनी धनराशि की मांग राज्य सरकार से

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की जा रही है उतनी ही धनराशि की मांग केन्द्र सरकार से भी की गयी है तथा कम्पनी के स्तर पर राज्यांश की पूर्व में भुगतान की गयी समस्त धनराशि का उपभोग कम्पनी द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है।

20- राज्य सरकार स्तर से प्रीमियम पर अनुदान के मद में देय राज्यांश की धनराशि को प्राप्त करने के पूर्व क्रियान्वयन अभिकरण अथवा इनके द्वारा अधिकृत किसी एजेन्सी द्वारा यदि आवश्यक हुआ तो क्षेत्र विशेष में बीमित कृषकों/बीमित क्षेत्रों का सत्यापन किया जा सकेगा एवं प्रतिकूल सत्यापन की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण को कृषकों से प्राप्त किसी भी बीमा प्रस्ताव अथवा बैंक स्तर से प्राप्त बीमा प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

21- जनपद स्तर पर कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं फसल बीमा योजनाओं के जनपद स्तर पर बैंकों, बीमा कम्पनी एवं राजस्व विभाग के समन्वय से सफल व समयबद्ध संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

22- निदेशक, मौसम वैज्ञानिक केन्द्र, अमौसी, लखनऊ, निदेशक, रिमोट सेन्सिंग सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जनपदों के जनपदवार मौसम के ऑकड़े, उपग्रही चित्र, कृषि से सम्बन्धित आवश्यक ऑकड़े क्रियान्वयन अभिकरण की मॉग के अनुरूप उपलब्ध करायी जायेगी।

**23-** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या- 2680/12-2-2000-60(4)/89 दिनांक 10 जुलाई, 2000 गठित जिलास्तरीय मॉनीटरिंग समिति द्वारा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जायेगा एवं जनपदीय अधिकारियों एवं कार्मिकों की इस योजना की पूरी सहभागिता हेतु प्रभावी निर्देश निर्गत किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से कृषक प्रतिनिधियों तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों को समिति की नियमित बैठक में भाग लेने हेतु नामित किया जायेगा।

जिलास्तरीय मॉनीटरिंग समिति योजना के संचालन की प्रतिमाह समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन को माह के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्त में प्रेषित करेगी तथा इसकी प्रति निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगी।

24. अधिसूचना जारी होने के तुरन्त बाद क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अधिकृत बीमा मध्यस्थ/एजेण्ट की सूची निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 एवं इसकी प्रति सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी।

25. बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों की सूची एवं वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण बैंक शाखा स्तर एवं ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर प्रत्येक मौसम में चस्पा करायी जायेगी।

26. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा लाभार्थी कृषकों को दी जाने वाली बीमा क्षतिपूर्ति की धनराशि **e-Banking (RTGS)** के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में जमा करायी जायेगी।

27. क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में बीमा कम्पनी के कार्य क्षेत्र को एक वर्ष हेतु इस आशय से निर्धारित किया गया है ताकि बीमा कम्पनी द्वारा जनपद में विशेष रणनीति बनाते हुए क्षेत्रीय स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जनपद में अपनी बचतों से कृषकों के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम यथा पेयजल सुविधा/स्वास्थ्य सेवा/शिक्षा/नो क्लेम बोनस/ मौसम के अनुमान/व्यक्तिगत बीमा कवर/साझा सेवा केन्द्र आदि का विकास सुनिश्चित करते हुए कृषकों में अपनी कम्पनी की विश्वसनीयता स्थापित करने की कार्यवाही करेंगे।

28. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने अधिकृत जनपदों में कृषकों को योजना के प्रति जागरूक करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना, एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप अभियान चलाकर योजना का **व्यापक प्रचार-प्रसार** सुनिश्चित कराया जायेगा एवं विशेष आयोजन करते हुए कृषकों को वितरित क्षतिपूर्ति की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जनपद के बैंक कर्मियों को भी योजना के सफल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार में खण्ड विकास अधिकारियों, पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ-साथ कृषि विभाग के अधिकारियों की भी मदद ली जायेगी। जिन ग्राम पंचायतों में योजना लागू हो, उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को योजना की संक्षिप्त विवरण, क्षतिपूर्ति एवं लाभार्थी कृषकों का विवरण प्रत्येक मौसम में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

29. कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने तथा क्षतिपूर्ति के निर्धारण व वितरण की पूरी प्रक्रिया में कृषकों को हतोत्साहित करने की किसी भी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। कृषि विभाग के अधिकारी क्रियान्वयन अभिकरण के संगत रिकार्डों तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं इस पूरी प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा इन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

30. भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को फसल बीमा योजनाओं में कृषकों की फसलों को कवरेज प्रदान करने हेतु **De-Empanelled** किया जाता है अथवा फसल बीमा योजनाओं के प्राविधानों में व्यापक संशोधन किये जाते हैं तो तद्नुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित कार्य क्षेत्र एवं दायित्व को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

31- गैर ऋणी कृषकों को योजना में सम्मिलित होने हेतु इन कृषकों के निकटतम/सेवा क्षेत्र के बैंक कृषकों को बैंक खाता खोलने, प्रस्ताव फार्म भरने, प्रीमियम जमा कराने एवं फसल बीमा का रिकार्ड रखने आदि में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

32**.** राज्य सरकार एवं क्रियान्वयन अभिकरण बैंकों के संगत रिकार्ड तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं बैंकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

33**.** क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

34. समस्त बैंकों द्वारा अपने अधीनस्थ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा अधिसूचित फसलवार स्वीकृत ऋण सीमा के सापेक्ष कुल बीमित राशि की समीक्षा की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत सभी पात्र कृषकों का बीमा अधीनस्थ बैंक शाखाओं द्वारा किया गया है। **यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस. की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान लाभ से वंचित रहता है तो योजना के प्राविधानानुसार सम्बन्धित संस्थाऐं ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगें।**

35- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कम से कम 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के विवरण को बैंक स्तर पर सत्यापित करते हुए जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति, प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के विवरण को सत्यापित कराते हुए रिपोर्ट प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को प्रेषित की जायेगी। प्रदेश शासन व भारत सरकार स्तर पर नेशनल लेवल मानीटरिंग समिति द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार सत्यापन कराया जायेगा।

36- बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा कृषकों से प्राप्त प्रीमियम की धनराशि पर चार प्रतिशत सर्विस चार्ज क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रत्येक मौसम में प्रदान किया जाएगा।

37- योजना सर्विस टैक्स से मुक्त रखी गयी है।

38. बीमा क्षतिपूर्ति नोडल बैंक शाखाओं को जारी करते हुए क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना का जनपद में फसलवार एवं बैंकवार विस्तृत विवरण की एक प्रति सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक तथा दूसरी प्रति निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।

39. इस योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जनपदवार अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण अथवा उप कृषि निदेशक अथवा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ से अलग से अनुरोध किया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

40. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में कुल किसानों का कम से कम 5 प्रतिशत कृषकों की संख्या को गैंर ऋणी कृषकों में से बीमित किये गये प्राविधान को सम्मिलित किया जाये। बीमा कम्पनी द्वारा अपेक्षानुसार गैर ऋणी कृषकों को बीमित नहीं किये जाने की स्थिति में योजनान्तर्गत मौसम विशेष में कुल प्रीमियम के 0.5 प्रतिशत Penalty के रूप में राज्य सरकार को देय होगा, जो सम्बन्धित बीमा कम्पनी की राज्यांश की माँग में समायोजित की जायेगी।

**संलग्नकः उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 23/2016/ 1562 (1)/12-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, न्यू बेरी रोड, गन्ना संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, 14-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
9. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
10. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं वाह्य सहायतित परियोजना निदेशालय, उ0प्र0, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
12. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
13. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
14. निदेशक, मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ।
15. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर, उ0प्र0, कुर्सी रोड, लखनऊ।
16. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17. महाप्रबन्धक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
18. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
19. महाप्रबन्धक (प्रशासन), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 35-मोती महल मार्ग, हजरत गंज लखनऊ।
20. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रकोष्ठ **(SLBC),** बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बड़ौदा हाउस, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010.
21. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0, पंचम तल, जीवन भवन, फेज-2 नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
22. महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, जोनल कार्यालय, सेन्ट्रल जोन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ।
33. उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
34. महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, कृषि वित्त एवं प्राथमिकता क्षेत्र अनुभाग, अंचल कार्यालय, 4-सप्रू मार्ग, लखनऊ।
35. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय क्षेत्र, 4- बी, हबीबुल्लाह स्टेट, लखनऊ।
36. उप मुख्य अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक, तीसरी मंजिल, नव चेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ।
37. उप महाप्रबन्धक, रीजनल कार्यालय, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शारदा टावर, द्वितीय तल, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
38. सहायक महाप्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, आंचलिक कार्यालय, 8- ज्वाला बिल्डिंग, लालबाग, लखनऊ।
39. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं कृषि), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), पोस्ट बाक्स नं0-363, विश्व शान्ति काम्पलेक्स, देहली रोड, मेरठ।
40. उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जोनल कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0-198, पहली मंजिल, जीवन बीमा विनियोग भवन, 45- हजरतगंज, लखनऊ।
41. सहायक महाप्रबन्धक, विजया बैंक, नेहरू भवन, पोस्ट बाक्स नं0-183, कैसरबाग, लखनऊ।
42. सहायक महाप्रबन्धक, सिण्डीकेट बैंक, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
43. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूको बैंक, आकाशदीप बिल्डिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
44. जोनल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
45. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कोतवाली के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
46. क्षेत्रीय प्रबन्घक, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, अंचल कार्यालय, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
47. सर्किल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, प्रभातनगर, साकेत, मेरठ।
48. जोनल मैनेजर, इण्डियन बैंक, 2 बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

49. क्षेत्रीय प्रबन्धक, देना बैंक, 28 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
50. वरिष्ठ प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
51. सहायक जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, विकास नगर, लखनऊ।
52. जनरल मैनेजर, नैनीताल बैंक लि0, नैनीताल बैंक हाउस, 7 ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल।
53. उप जनरल मैनेजर, कार्पोरेशन बैंक, 1-1/ एफ, अशोक मार्ग (निशातगंज के पास), लखनऊ।
54. शाखा प्रभारी, एक्सिस बैंक लि0, 25-बी, अशोक मार्ग, सिकन्दरबाग चौराहा, लखनऊ।
55. शाखा प्रभारी, आई0डी0बी0आई0 बैंक, सहकारी किसान भवन, तृतीय तल, 2- महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
56. वरिष्ठ प्रबन्धक, फेडरल बैंक, 29 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
57. सहायक उपाध्यक्ष, इण्डसाइण्ड बैंक लि0, नवल किशोर रोड, लालबाग, लखनऊ।
58. संयुक्त कृषि निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
59. सांख्यिकीय अधिकारी, मण्डलायुक्त कार्यालय, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
60. उप कृषि निदेशक, समस्त जनपद (जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।
61. जिला कृषि अधिकारी, समस्त जनपद (जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।
62. अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्त जनपद (जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।
63. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक लि0, समस्त जनपद (जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।
64. प्रबन्धक, लीड बैंक (शीर्ष बैंक), समस्त जनपद (जनपद- अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(इन्द्र देव पटेल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।